

प्रेषक,

आयुक्त  
मुरादाबाद मण्डल,  
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र 2, रामुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली।

संख्या 1300/

27 59 (2008-09) जे0ए0

दिनांक : 29-6-2011

विषय :-

सत्यवती मैमोरियल एकेडमी, कसौर रोड, किरतपुर, बिजनौर को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये गुड्डे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सत्यवती मैमोरियल एकेडमी कसौर रोड, किरतपुर, बिजनौर उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0वी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कार्याचार्यों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य शर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य शर्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकों में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम किरतपुर, परगना व तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर में स्थित गाटा संख्या-1372 में से 0.243 हे0 (तीन पर) एवं गाटा संख्या-1372 क्षेत्रफल 2.474 हे0 में से क्षेत्रफल 0.600 हे0 इस प्रकार कुल 0.843 हे0 भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

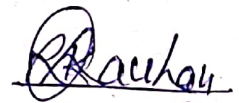
( डा0 गुरदीप सिंह )  
मण्डलायुक्त।

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 2- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 3- शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निरीक्षक, आर्य समाज विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी बिजनौर।
- 6- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।
- 7- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर।

प्रबंधक, सत्यवती मैमोरियल एकेडमी, कसौर रोड, किरतपुर, बिजनौर।  
**PRINCIPAL**  
Satyawati Memorial Academy  
Kasour Road, Kiratpur, Bijnor  
Affiliated to CBSE New Delhi

जे0ए/सी-03/सी0वी0एस0ई0-प्रमाणन/शीट-11

  
**MANAGER**  
**SATYAWATI MEMORIAL ACADEMY**  
**KASOUR ROAD KIRATPUR**  
**BIJNOR-U.P.**

( डा0 गुरदीप सिंह )  
मण्डलायुक्त।